[ 23/3/2022]

प्रश्न सं. [ क्र. 4477 ]

परिशिष्ट 'अ'

## राज्य शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति दरों की जानकारी

राज्य शासन द्वारा देय अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 01 से 05 की बालिकाओं हेतु छात्रवृत्ति की राशि रू. 250/- (प्रति 10 माह हेतु) है, कक्षा 06 से 08 के छात्रों हेतु राशि रू. 200/- (प्रति 10 माह हेतु) एवं छात्राओं हेतु राशि रू.600/- (प्रति 10 माह हेतु) निर्धारित है । कक्षा 09-10 के 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा तक के गैर छात्रावासी छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति की राशि रू. 3000/- (प्रति 10 माह हेतु) है तथा छात्रावासी छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति की राशि रू. 6250/- (प्रति 10 माह हेतु) निर्धारित है, 2.50 लाख से अधिक वार्षिक आय सीमा के छात्रों हेतु राशि रू. 600/-(प्रति 10 माह हेतु) एवं छात्राओं हेतु राशि रू. 1200/-(प्रति 10 माह हेतु) छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित है।

कक्षा 11-12 में अध्ययनरत गैर छात्रावासी छात्र-छात्राओं हेतु अकादमिक भत्ता राशि रू. 2500/- निर्धारित है, छात्रावासी छात्र-छात्राओं हेतु अकादमिक भत्ते की राशि रू. 4000/- निर्धारित है, अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों जिनके पालकों की आय रू. 2.50 लाख से अधिक है उन्हें अकादमिक भत्ते की पात्रता नहीं है। रू. 2.50 लाख से रू. 6.00 लाख तक की आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं में संबंधित गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क की ½ (आधी) राशि के भुगतान किया जाना निर्धारित है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित वास्तविक शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जाता है । शासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रू. 2.50 लाख से अधिक की आय सीमा होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं है, केवल पूर्ण शुल्क का भुगतान किया जाता है ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्र...
...जाति ...चित जाति
कल्...
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

E:\EDU_1\A.Q. 4477.docx

परिशिष्ट 'ब'

## छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि की जानकारी

राज्य शासन द्वारा देय अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 01 से 05 की बालिकाओं हेतु छात्रवृत्ति की राशि में वर्ष 2017-18 से राशि रू. 150/- (प्रति 10 माह हेतु) से बढ़ाकर राशि रू. 250/- (प्रति 10 माह हेतु) की गई है ।

कक्षा 09-10 के 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा तक के गैर छात्रावासी छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति की राशि में वर्ष 2017-18 से राशि रू. 2250/-(प्रति 10 माह हेतु) से बढ़ाकर राशि रू. 3000/- (प्रति 10 माह हेतु) की गई है तथा छात्रावासी छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति की राशि में वर्ष 2018-19 से राशि रू. 4500/- (प्रति 10 माह हेतु) से बढ़ाकर राशि रू. 6250/- (प्रति 10 माह हेतु) की गई है ।

कक्षा 11-12 में अध्ययनरत गैर छात्रावासी छात्र-छात्राओं हेतु अकादमिक भत्ता राशि में वर्ष 2021-22 से रू. 2300/- से बढ़ाकर रू. 2500/- निर्धारित की गई है, छात्रावासी छात्र-छात्राओं हेतु अकादमिक भत्ते की राशि 3800/- से बढ़ाकर रू. 4000/- निर्धारित की गई है ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

E:\EDU_1\A.Q. 4477.docx